फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00205

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री सोमाजी
जाति घांची
निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाड़ा
जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
जिला रसद अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 07 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को दिनॉक 24.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सिरोही जिले के एक ही पंचायत के 3 किमी. क्षेत्र में कौन–कौनसी दुकाने है उनके राशन पर गेहूं लेने वाले राशन कार्डों की संख्या, आवंटन वितरण मय राशन डीलर का नाम सहित सूचना एवं उन पंचायतों में किन–किन डीलरों का समानीकरण किया है, से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को दिनॉक 24.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सिरोही जिले के एक ही पंचायत के 3 किमी. क्षेत्र में कौन–कौनसी दुकाने है उनके राशन पर गेहूं लेने वाले राशन कार्डों की संख्या, आवंटन वितरण मय राशन डीलर का नाम सहित सूचना एवं उन पंचायतों में किन–किन डीलरों का समानीकरण किया है, से सम्बन्धित समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2020 को अपीलांट को सूचित कर दिया है कि उक्त सूचना ऑनलाइन https://food.raj.nic.in/ साईट पर उपलब्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार क[illegible] जिला रसद अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि जो सू[illegible] कार्या[illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपी अपीलांट क[illegible] नियमानुसार [illegible]ब्ध करावें । यदि सूच[illegible] नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश [illegible] कर अपीलांट को सूचित[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	215-16 13/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:46:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner